डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान ढकोली बनाम जगन वगै0

दावा बाबत् 53, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 142/2012

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 31.05.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 31.05.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 31.05.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 09.09.2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत————— 9/9/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:13:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1. ढकोली पुत्र लौहरे मृतक जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।
   1. हुब्बलाल पुत्र ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
   2. वीरी पुत्र ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदवई जिला भरतपुर
   3. निरंजन पुत्र ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदवई जिला भरतपुर
   4. खूबीराम पुत्र ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदवई जिला भरतपुर
   5. साहबसिंह पुत्र ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदवई जिला भरतपुर
   6. पुष्पा पुत्री ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदवई जिला भरतपुर
   7. प्रेम पुत्री ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
2. सोहनलाल पुत्र जवाहरी जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर

वादी

बनाम

1. जगन पुत्र जोरावर जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. केशवदेव पुत्र धरम जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
3. रामदेव पुत्र धरम जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
4. जयदेव पुत्र धरम जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
5. वासुदेव पुत्र धरम जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
6. गोमती पत्नि निन्नू जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
7. दुलिया पुत्र निन्नू जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
8. अमरचंद पुत्र निन्नू जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
9. मोहन पुत्र निन्नू जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
10. रामरती पुत्री निन्नू जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
11. टुण्डी पुत्री निन्नू जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
12. प्रबंधक पीएनबी लखनपुर
13. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:13:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 142/2012
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2012/00103
किस्म दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आरटीए
निर्णय दिनांक 09.09.2024.

1. ढकोली पुत्र लौहरे मृतक जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।
    1. हुब्बलाल पुत्र ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
    2. वीरी पुत्र ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
    3. निरंजन पुत्र ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
    4. खूबीराम पुत्र ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
    5. साहबसिंह पुत्र ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
    6. पुष्पा पुत्री ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
    7. प्रेम पुत्री ढकोली जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
2. सोहनलाल पुत्र जवाहरी जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर

वादी

बनाम

1. जगन पुत्र जोरावर जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. केशवदेव पुत्र धरम जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
3. रामदेव पुत्र धरम जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:13:50 IST
Reason: SelfAttested

9/9/24

Scanned with CamScanner

4. जयदेव पुत्र धरम जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
5. वासुदेव पुत्र धरम जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
6. गोमती पत्नि निन्नू जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
7. दुलिया पुत्र निन्नू जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
8. अमरचंद पुत्र निन्नू जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
9. मोहन पुत्र निन्नू जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
10. रामरती पुत्री निन्नू जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
11. टुण्डी पुत्री निन्नू जाति नाई निवासी जहांगीरपुर तह. नदबई जिला भरतपुर
12. प्रबंधक पीएनबी लखनपुर
13. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मणसिंह. एड.(वादी की ओर से)

श्री अशोक कुमार एड. (प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में सभी पक्षकारान बालिग व दावा लडने में सक्षम हैं।
2. यह कि खाता सं. 51 वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई के खसरा न. 790 रकवा 0.60, 791 रकवा 0.25, 791/2019 रकवा 0.01, 792 रकवा 0.37, 794 रकवा 0.38, 795 रकवा 0.01, 836 रकवा 0.35, 837 रकवा 0.32, 838 रकवा 0.37, 1789 रकवा 0.09, 1790 रकवा 0.41, 1793 रकवा 0.45, 1794 रकवा 0.46 किता 13 कुल रकवा 3.97 के 1/3 हिस्से का वादी सं. 2 तथा 1/3 हिस्से का वादी सं. 2 सहखातेदार काबिज है तथा प्रतिवादी सं. 1 1/9 हिस्से का प्रतिवादी स. 2 लगायत 5 वाहिस्सा [illegible] 1/9 हिस्से के तथा व प्रतिवादी सं. 6 लगायत 11 वाहिस्सा [illegible] 1/9 हिस्से के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:13:50 IST
Reason: SelfAttested

9/9/24

Scanned with CamScanner

काबिज है, जमाबंदी सं. 2067 से 2070 वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई वादपत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि खाता सं. 50 के खसरा न. 1558 रकवा 0.04, 1559 रकवा 0.08, 1563 रकबा 0.03 किता 3 रकबा 0.15 वाके ग्राम जहांगीरपुर के 1/2 हिस्से का वादी संख्या 1 खातेदार व काबिज है। तथा खाता संख्या 52 के खसरा नंबरान 1560 रकवा 0.26, 1561 रकबा 0.17, 1562 रकबा 0.13 किता 3 कुल रकवा 0.56 वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई के 1/2 हिस्से का वादी संख्या 1 खातेदार व काबिज है। तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्से के व प्रतिवादी संख्या 2, 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्से के खातेदार व काबिज है। सत्यप्रति जमाबंदी 2067 से 2070 वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई वादपत्र के साथ संलग्न है।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने वमुकाम जहांगीरपुर तहसील नदबई पर दिनांक 02.07.12 को वादीगण को यह एलानियां धमकी दी है कि वे वादीगण संख्या 1 व 2 को विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 व 3 वादपत्र की आराजी के उनके हिस्से से जबरन बेदखल करके रहेंगे तथा वादी को उनके हिस्से से महरूम करके रहेंगे। अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गए तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से न हो सकेगी। अतः वादी गण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।

5. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र की आराजी का वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के मध्य तथा विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 3 वादपत्र के खाता संख्या 50 की आराजी वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई का वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के मध्य तथा खाता संख्या 52 वाके ग्राम जहांगीरपुर की विवादित आरजी का वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के मध्य उनके रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार बंटवारा किया जावे तथा अलग–अलग खातेदारी व लगान कायम किये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री ओमप्रकाश पाराशर एवं श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की ओर से जबाव दावा पेश नहीं किया गया। प्रतिवादीगण का जबाव दावा दिनांक 16.06.14 को बंद किया गया तथा वादी वकील द्वारा साक्ष्य के रूप में पीडब्लू 1 ढकोली एवं पीडब्लू 2 सोहनलाल के बयान पेश किए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:13:50 IST
Reason: SelfAttested

9/9/24

Scanned with CamScanner

वादी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा एवं उभयपक्षकरान की सहमति के आधार पर वादपत्र मे दर्ज विवादित आराजीयात की बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुरेजात मंगवाए जाने हेतु दावा प्रांरभिक डिक्री किए जाने बाबत् अपनी सहमति दिनांक 18.11.2015 को पत्रावली पर दी गई। वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर एवं उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणों के एवं पक्षकारों की सहमति के आधार पर वादी का वादपत्र प्रारंभिक डिक्री दिनांक 18.11.2015 को किया जाकर विवादित आराजीयात के बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर कुरेजात प्रस्ताव मंगवाए जाने हेतु तहसीलदार नदबई को आदेशित किया गया तथा तहसीलदार नदबई को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तथा राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए। तहसीलदार नदबई द्वारा न्यायालय के आदेश क्रमांक 247 दिनांक 07.04.2021 की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 31.05.24 को जरिए पत्रांक 3156 दिनांक 30.07.2024 से भिजवाए गए। एवं कुरेजात प्रस्ताव पर बहस हेतु पत्रावली नियत की गई।

उक्त तहसीलदार नदबई द्वारा कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 31.05.24 जो कि पत्रांक 3156 दिनांक 30.07.2024 से भिजवाए गए पर आपत्ति प्रार्थना पत्र वादी की ओर से पेश किया गया उक्त आपत्ति पेश की गई।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणों द्वारा कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 31.05.24 पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी की ओर से जबाव आपत्ति कुरा रिपोर्ट पेश न कर सीधी बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई। वकील वादी अधिवक्ता का दौरान बहस तर्क दिया कि वादी संख्या 1 की तरफ से आपत्ति पेश की गई है जिसमें खसरा नंबर 1793 रकबा 0.51 पर बांध की तरफ कब्जा काश्त था। कुर्रा रिपोर्ट भौतिक कब्जे के विपरीत दक्षिण दिशा में दे दिया गया है जबकि हमारा कब्जा 1794 के चिपटैमा उत्तर दक्षिण में हमारा कब्जा काश्त था अतः पुनः कुर्रा रिपोर्ट मंगवाई जावे। वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी का कहना है कि उक्त कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार, हल्का पटवारी व भूअभिलेख निरीक्षक मौके पर जाकर तैयार किए गए हैं। खसरा नंबर 1793 में इनका 1/5 हिस्सा बनता है उस अनुसार इनको इनमें से 1/5 हिस्सा दिया गया है। तथा मृतक ढकेली का भी नोट लगा हुआ है अतः इनका कुर्रा एतराज प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:13:50 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान को विद्वान अधिवक्ता[illegible] की बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई, बहस पर मनन किया गया [illegible] पत्रा[illegible] पर उपलब्ध कुरेजात प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तो पाया कि [illegible]लदार नदबई द्वारा जो कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 31.05.2024 अपने पत्रांक 3156 दिनांक 30.07.2024 से भिजवाई गई का अवलोकन किया तो पाया कि कु[illegible]जात प्रस्ताव मौके पर जाकर

9/9/24

Scanned with CamScanner

पक्षकारान को तलब कर पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तथा कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुए मौके के अनुसार तैयार कर भिजवाई गई है। अतः वादी की आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया जाकर मुताबिक कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 31.05.2024 के अनुसार ही डिक्री किया जाना उचित है।

—::आदेश::—

अतः आदेश है कि वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित खाता सं. 51 वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई के खसरा न. 790 रकवा 0.60, 791 रकवा 0.25, 791/2019 रकवा 0.01, 792 रकवा 0.37, 794 रकवा 0.38, 795 रकवा 0.01, 836 रकवा 0.35, 837 रकवा 0.32, 838 रकवा 0.37, 1789 रकवा 0.09, 1790 रकवा 0.41, 1793 रकवा 0.45, 1794 रकवा 0.46 किता 13 कुल रकवा 3.97 के 1/3 हिस्से का वादी सं. 2 तथा 1/3 हिस्से का वादी सं. 2 सहखातेदार काबिज है, तथा प्रतिवादी सं. 1, 1/9 हिस्से का प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 वाहिस्सा बराबर 1/9 हिस्से के तथा व प्रतिवादी सं. 6 लगायत 11 वाहिस्सा बराबर 1/9 हिस्से के खातेदार काबिज है, जमाबंदी सं. 2067 से 2070 वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई है।

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 31.05.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 31.05.2024 (प्रदर्श—अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 31.05.2024 प्रदर्श—"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:13:50 IST
Reason: SelfAttested

9/9/24
(गंगाधर मीना)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,नदबई

Scanned with CamScanner